

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्र 24, शक 1945

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनायें

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सुमित कुमार चौहान पुत्र रणधीर सिंह राजपुत एवं माता का नाम रेणुका देवी राजपुत अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में सुमित सिंह राजपुत पिता रणधीर सिंह राजपुत के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुमित कुमार चौहान)

(SUMIT KUMAR CHOWHAN)

(G-1738)

नया नाम

(सुमित सिंह राजपुत)

(SUMIT SINGH RAJPUT)

पिता—रणधीर सिंह राजपुत,

निवासी—ब्लॉक नंबर 01, फ्लैट नं. 202,

रीगल नेस्ट अवधपुरी, जिला भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम आरती ए. सिंह (ARTI A. SINGH) को परिवर्तित कर नया नाम आरती आशुतोष सिंह (ARTI ASHUTOSH SINGH) हो गया है.

पूर्व में मेरा नाम आरती ए. सिंह (ARTI A. SINGH) था. उपरोक्त नाम के स्थान पर मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम लिखा है उसे परिवर्तन कर नया नाम आरती आशुतोष सिंह (ARTI ASHUTOSH SINGH) पढ़ा और लिखा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आरती ए. सिंह)

(G-1739)

नया नाम

(आरती आशुतोष सिंह)

Add.-18, Challet/A-Sector, Barkheda Bhel,

Near Radha Kishan H. S. School, Bhopal.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम पारस कुमार बंसाली (Paras Kumar Bansali) था, जो अब बदलकर पारस मल जैन (Paras Mal Jain) हो गया है, क्योंकि मुझे वर्तमान में इसी नाम से ही जाना जाता है तथा भविष्य में मुझे मेरे नये नाम पारस मल जैन (Paras Mal Jain) से ही जाना-पहचाना व बोला जावे।

पुराना नाम

(पारस कुमार बंसाली)

नया नाम

(पारस मल जैन)

पता-105, वार्ड नं. 10, सदर बाजार,  
ग्राम नामली, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.).

(G-1740)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम लीसी थोमस (Lissy Thomas) था, जो कि अब परिवर्तित कर एलिजाबेथ थोमस (Elizabeth Thomas) कर दिया गया है. अतः भविष्य में मुझे अब मेरे नये नाम एलिजाबेथ थोमस से ही जाना व पहचाना व बोला जावे.

पुराना नाम

(लीसी थोमस)

नया नाम

(एलिजाबेथ थोमस)

पता-एच-56, नर्मदा कॉलोनी, स्कीम न. 78,  
विजय नगर, इन्दौर. (म.प्र.).

(G-1741)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम रामबाई नामदेव से बदलकर खिलोनी बाई रख लिया है. मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम खिलोनी बाई के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम

(रामबाई नामदेव)

नया नाम

(खिलोनी बाई)

पत्नी-श्री सुरेश नामदेव,  
निवासी-ग्राम रेहट, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1742)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में हर्षिता तिवारी पुत्री हेमन्त तिवारी अंकित है. जो सही है लेकिन पुत्री के शैक्षणिक रिकार्ड में हर्षिता त्रिपाठी पुत्री विकास त्रिपाठी अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है. हेमन्त तिवारी एवं विकास त्रिपाठी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः नये नाम हेमन्त तिवारी पुत्री हर्षिता तिवारी के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हर्षिता त्रिपाठी)

पिता-विकास त्रिपाठी.

नया नाम

(हर्षिता तिवारी)

पिता-हेमन्त तिवारी,  
निवासी-पता-618, टाटा नगर,  
गली नं. 6, रतलाम (म.प्र.).

(G-1743)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि, मेरा नाम व उपनाम राजेश गुप्ता है। अभी तक मैं, मेरा परिवार सभी अपने नाम के साथ उपनाम गुप्ता लिखते हैं, लेकिन अब हम गुप्ता उपनाम के स्थान पर अपने नाम के साथ कुमार उपनाम का उपयोग करेंगे। अतः अब से हमें हमारे सभी शासकीय व अशासकीय सहित अन्य सभी प्रकार के दस्तावेजों में भी हमें हमारे नये उपनाम कुमार राजेश कुमार से ही लिखा व पढ़ा जाए।

पुराना नाम  
(राजेश गुप्ता)

नया नाम  
(राजेश कुमार)  
पता-40, हरसिद्धी विहार,  
देवास रोड, उज्जैन (म.प्र.).

(G-1744)

### CHANGE OF SURNAME

It is to bring kind Notice to the people that my daughters previous name RUKMANI JATWA D/o DINESH CHOUHAN has been changed to RUKMANI CHOUHAN D/o DINESH CHOUHAN Therefore, in future my daughter will be known by the her new name only.

Applicant  
(DINESH CHOUHAN)

Addr.-687, NIRANJANPUR KHALSA CHOUK,  
INDORE, (M.P.).

(G-1745)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म मेसर्स आर. आर. जैन इंफ्रा, पुराना पता 10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.), पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0095/20 सन् 2020-21, दिनांक 22 सितम्बर 2020 से फर्मों के रजिस्ट्रार इंदौर, संभाग इंदौर में पंजीकृत है। दिनांक 01-05-2023 से फर्म का पता 10, धन्वन्तरि भवन, चिकित्सक नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) से परिवर्तित होकर 54, सेक्टर, ए महालक्ष्मी नगर, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) हो गया है।

मेसर्स आर. आर. जैन इंफ्रा,  
(रविश जैन)  
(पार्टनर).

(G-1746)

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s Shivansh Developers Registered office at 66 Rajmahal Colony, Indore (M.P.) and Registration No. is 03/27/01/0494/23, dated 21-02-2023, which was constituted vide Partnership deed executed on 20-10-2020.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 04-04-2023, Shri Raghuvir Singh Khanuja S/o Shri Kartar Singh Khanuja has voluntarily retired from the Partnership firm. And Shri Paramjeet Singh Saluja S/o Shri Santosh Singh Saluja has joined the firm as a new partner.

Now 1. Shri Vicky Jethwani, 2. Shri Manoj Rathore and 3. Shri Paramjeet Singh Saluja are the continuing Partners in the Partnership firm.

For-M/s Shivansh Developers,  
(VICKY JETHWANI)

(G-1747)

(Partner).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण का सूचित किया जा रहा है कि मैं, कुसुमलता जैन पति महेंद्र कुमार जैन सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व नाम कुसुम बोहरा पति महेंद्र कुमार जैन था, जो कि मेरे कई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज है, अब मैं सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम कुसुमलता जैन पति महेंद्र कुमार जैन एवं कुछ कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर कुसुम जैन अंकित है. अब मैं भविष्य में कुसुमलता जैन पति महेंद्र कुमार जैन नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी. उपरोक्त तीनों नाम कुसुमलता जैन पति महेंद्र कुमार जैन, कुसुम जैन व नाम कुसुम बोहरा पति महेंद्र कुमार जैन एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम कुसुमलता जैन पति महेंद्र कुमार जैन के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा, एवं बोला जावे.

पुराना नाम  
(कुसुम बोहरा)

नया नाम  
(कुसुमलता जैन)  
पति-महेंद्र कुमार जैन.

(G-1748)

### नाम परिवर्तन

यह कि मैं, श्रीमती शेहराज जहाँ पुत्री श्री अब्दुल कलाम, निवासी- वार्ड नं. 22, चूड़ी मोहल्ला, गंजबासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम निशा (NISHA) त्रुटिवश दर्ज करवा दिया गया था. जो कि गलत है.

मेरी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम शेहराज जहाँ (SHEHRAJ JAHAN) दर्ज है. जो कि सही है. मेरे आधार कार्ड व सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही नाम शेहराज जहाँ (SHEHRAJ JAHAN) से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(निशा)  
(NISHA)

नया नाम  
(शेहराज जहाँ)  
(SHEHRAJ JAHAN)  
निवासी-वार्ड नं. 22, चूड़ी मोहल्ला,  
गंजबासोदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-1749)

### नाम परिवर्तन

मैं, रामकुमार शर्मा आत्मज श्री जय नारायण शर्मा, निवासी-140/बी, कोरल लाईफ फस्ट करोंद कलॉ, भानपुर, हुजूर ,भोपाल (मध्यप्रदेश) सेवा रिकार्ड में नाम राम कुमार पुत्र श्री जय नारायण लिखा है जबकि मेरा वास्तविक नाम रामकुमार शर्मा आत्मज श्री जय नारायण शर्मा और इसी नाम से मेरे शासकीय अभिलेख है.

अतः मेरा नाम राम कुमार पुत्र श्री जयनारायण के स्थान पर रामकुमार शर्मा आत्मज श्री जयनारायण शर्मा पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(राम कुमार)

नया नाम  
(राम कुमार शर्मा)  
पिता-श्री जय नारायण.

(G-1750)

**CHANGE OF NAME**

It is general information that my self Vikram Singh S/o Ghanshyam Singh, R/o 363 C, Karahee Ward 2 Sant Tulsı Das and Ward 3 Sant Kabeer Das (H.N from 1 t 203) Karhi Brat Satna Madhya Pradesh Declares that name of my father has been wrongly written as G Singh in my Education Certificate. The actual name of my father is Ghanshyam singh which may be amended accordingly.

पुराना नाम  
(विक्रम )  
(जी सिंह)  
(G. SINGH)

नया नाम  
(विक्रम सिंह)  
(घनश्याम सिंह)  
(GHANSHYAM SINGH).

(G-1751)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम डोमल सिंह कुशवाहा (Domal Singh Kushwaha) था. तथा वर्तमान में मैं अपना नाम मनोज कुमार (Manoj Kumar) करना चाहता हूँ प्रकाशन उपरांत मुझे मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जायें

पुराना नाम  
(डोमल सिंह कुशवाहा)  
(Domal Singh Kushwaha)

नया नाम  
(मनोज कुमार)  
(Manoj Kumar)

(G-1752)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मखमल जैन दर्शित है. अतः मुझे वर्तमान एवं भविष्य में मेरे नये नाम रजनी जैन (Rajni Jain) से ही जाना-पहचाना व बोला जावे एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(मखमल जैन)

नया नाम  
(रजनी जैन)

(G-1753)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राधेश्याम मीना आ. श्री रंजीत सिंह मीना, निवासी-शिवराध्या कॉलोनी, सीहोर, जिला-सीहोर (म.प्र.) का निवासी हूँ. चूँकि मेरे पुत्र के समस्त शासकीय शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम निखिल मीना दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड पर भूलवश कान्हा मीना दर्ज हो गया है. इसीलिए मेरे पुत्र का आधार कार्ड में दर्ज कान्हा मीना के स्थान पर सही नाम निखिल मीना दर्ज कर इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

(G-1754)

भवदीय,  
(राधेश्याम मीना)

**नाम परिवर्तन**

मैं, विक्रमजीत झारिया, पिता श्री विनोद कुमार झारिया, जाति मेहरा, निवासी ग्राम बिजौरी माल पोस्ट ऑफिस, शाहपुरा थाना व तहसील शाहपुरा, जिला डिंडोरी मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम के साथ सरनेम झारिया नहीं लिखा हुआ है. आधार कार्ड में पूरा नाम विक्रमजीत झारिया पिता श्री विनोद कुमार झारिया जो कि मेरे अन्य शैक्षिक दस्तावेजों में उल्लेखित है, दर्ज किया जाए.

पुराना नाम  
(विक्रमजीत)

नया नाम  
(विक्रमजीत झारिया)

(G-1755)

### नाम परिवर्तन

में श्रीमती शुभि विश्वकर्मा पत्नी श्री शोभित विश्वकर्मा विवाह पूर्व मेरा नाम शुभि पाठक पुत्री श्री राजेन्द्र पाठक था, हिन्दू रीती रिवाज के अनुसार मेरा विवाह श्री शोभित विश्वकर्मा आ. श्री श्रीराम विश्वकर्मा के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह उपरांत मेरा नाम शुभि विश्वकर्मा पत्नी श्री शोभित विश्वकर्मा हो गया है.

अतः भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शुभि विश्वकर्मा पत्नी श्री शोभित विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(शुभि पाठक)

(G-1756)

नया नाम

(शुभि विश्वकर्मा)

पत्नी-श्री शोभित विश्वकर्मा,  
निवासी-पी. 2/278, प्रियंका नगर,  
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

### CHANGE OF NAME

I, Mukesh Kumar Gupta, Age 54, Resi. RERB-3-8/B Railway Colony, Katni (M.P.), have Changed My Daughters Name Shravi Gupta (Old Name) to Navya Gupta (New Name) in her Aadhaar Card. Shravi Gupta will Therefore Be Known As Navya Gupta. (Old Name SHRAVI GUPTA) to (New Name Navya Gupta).

(G-1757)

(MUKESH KUMAR GUPTA).

### नाम परिवर्तन

में, एस.पी. सिंह पुत्र श्री बाबूलाल सिंह, निवासी ग्राम पनगड़ीकला, तहसील सिरमौर, थाना गढ़, जिला रीवा म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा वर्तमान नाम एस.पी. सिंह है, जो कि मेरा पूरा नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह का संक्षिप्त (शार्ट) नाम एस.पी. सिंह लेख है, कि मैंने अपना पुराना नाम एस.पी. सिंह की जगह बदल कर अपना नया नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह कर लिया है, भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नये नाम शिवेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से लिखा, पढ़ा व जाना जाये.

पुराना नाम  
(एस.पी. सिंह)

(G-1758)

नया नाम

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)

तनय श्री बाबूलाल सिंह

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनेश कुमार, आत्मज स्व. श्री जगदीश प्रसाद, निवासी- म.नं. 1664, बल्दी कोरी की दफाई शीतलामाई आचार्य, विनोवा भावे वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ, किन्तु आज से अपना नाम दिनेश कुमार परिवर्तित कर दिनेश कुमार तिवारी कर लिया है. अतः मुझे दिनेश कुमार के स्थान पर दिनेश कुमार तिवारी के नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(दिनेश कुमार)

(G-1759)

नया नाम

(दिनेश कुमार तिवारी)

**नाम परिवर्तन**

मैं, ममता पंड्या पति धर्मेन्द्र पंड्या, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व नाम ममता गोखे पिता श्रीकृष्ण गोखे था, जो कि मेरे सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, विवाह के उपरांत मैं, ममता पंड्या पति धर्मेन्द्र पंड्या के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और आगे भविष्य में इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम  
(ममता गोखे)  
पिता-श्रीकृष्ण गोखे  
(G-1760)

नया नाम  
(ममता पंड्या)  
पति-धर्मेन्द्र पंड्या

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती कोमल शर्मा पुत्री श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, निवासी डी. के. 5/8, आई दानिशकुंज, दामखेड़ा, कोलार रोड़, नगर पालिका हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम वैदिका तिवारी पुत्री श्री आशीष कुमार तिवारी अंकित है, जिसके स्थान पर भविष्य में मेरी पुत्री को कनक शर्मा पुत्री श्रीमती कोमल शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(वैदिका तिवारी)  
पुत्री-श्री आशीष कुमार तिवारी  
(G-1761)

नया नाम  
(कनक शर्मा)  
पुत्री-श्रीमती कोमल शर्मा

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगमाता सचदेव पिता श्री शोकतराय सचदेव, मेरा पूर्व नाम सुनीता पिता श्री शोकत राय सचदेव था, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम योगमाता सचदेव पिता श्री शोकतराय सचदेव दर्ज करवाना चाहती हूँ, उपरोक्त दोनों नाम योगमाता सचदेव पिता श्री शोकतराय सचदेव व सुनीता पिता श्री शोकत राय सचदेव एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम योगमाता सचदेव पिता श्री शोकतराय सचदेव के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम  
(सुनीता)  
(G-1762)

नया नाम  
(योगमाता सचदेव)  
पिता-श्री शोकतराय सचदेव

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद हाज़िम खॉन MOHAMMAD HAZIM KHAN अंकित है एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मो. हाज़िम खॉन MOHD. HAZIM KHAN अंकित है. मुझे मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज नाम मो. हाज़िम खान MOHD. HAZIM KHAN से ही जाना व पहचाना जावे और मेरे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मो. हाज़िम खॉन MOHD HAZIM KHAN ही पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(मोहम्मद हाज़िम खॉन)  
(MOHAMMAD HAZIM KHAN)  
(G-1763)

नया नाम  
(मो. हाज़िम खॉन)  
(MOHD. HAZIM KHAN)  
पता-78/2, जूना रिसाला, इन्दौर (म.प्र.).

### आम सूचना

M/s MAHAKAL BUILDCON फर्म के साझेदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0291/22, दिनांक 27-10-2022 हैं, दिनांक 27-06-2023 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया जिसमें भागीदार 3. रुकमणी रमण सिंह ठाकुर, 4. मनीष मुदगल को भागीदारगण के रूप में सम्मिलित/शामिल हुए, उक्त साझेदार भागीदार क्र. 03 एवं 4 कहलायेंगे, भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे. अतः सर्वसाधारण को सूचित हों.

M/s MAHAKAL BUILDCON

(अम्बरीश शर्मा)

पार्टनर

पता-म. नं.-03, विजय द्वार, पिपुल्स केम्पस,  
भानपुर, वीटीसी, भोपाल (म.प्र.).

(G-1764)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अर्चना अग्रवाल पत्नी श्री राकेश कुमार अग्रवाल, निवासी-अग्रवाल नर्सिंग होम स्टेशन के पास पिपरिया, होशंगाबाद.

मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में अर्चना अग्रवाल एवं अर्चा अग्रवाल हो गया है. जो कि मेरे शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है, मेरा सही नाम अर्चना अग्रवाल है. मुझे अपना सही नाम अर्चना अग्रवाल सभी दस्तावेजों में अंकित कराना है. कृपया मेरा सही नाम अर्चना अग्रवाल के नाम से भविष्य में अर्चना अग्रवाल एवं अर्चा अग्रवाल के स्थान पर अब मेरा नाम अर्चना अग्रवाल के नाम से ही जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(अर्चना अग्रवाल एवं अर्चा अग्रवाल)

नया नाम

(अर्चना अग्रवाल)

(G-1765)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम जनप्रचलन में सरकारी सेवा अभिलेख में डॉ. रविन्द्र गोस्वामी पिता श्री नंदलाल है.

समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रविन्द्र गामड़ उल्लेखित है और गामड़ मेरा गोत्र है. चूंकि आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, सेवा अभिलेख में मेरा नाम डॉ. रविन्द्र गोस्वामी पिता श्री नंदलाल अंकित है. अतः मुझे डॉ. रविन्द्र गोस्वामी पिता श्री नंदलाल के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम

(रविन्द्र गामड़)

नया नाम

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

पता-C/o किशन शर्मा का मकान, कंपनी गार्डन के पास,  
छावनी नाका, आगर-मालवा, जिला आगर-मालवा (म.प्र.).

(G-1766)



## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में विश्वास ठाकुर पिता गुरुचरण ठाकुर (VISHWAS THAKUR) था. जिस निजी कारण से बदलकर गोविंद ठाकुर पिता गुरुचरण ठाकुर कर लिया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(विश्वास ठाकुर)  
  
(G-1767)

नया नाम  
(गोविंद ठाकुर)  
पिता-गुरुचरण ठाकुर,  
पता-ग्राम बिरगोदा, तहसील देपालपुर,  
जिला इन्दौर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सरोज मिश्रा पत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, निवासी:-एच-118 ए/80, शिवाजी नगर भोपाल का हाई स्कूल मार्कशीट में नाम सरोजनी देवी एवं हायर सेकेंडरी मार्कशीट व पति के सर्विस रिकॉर्ड में नाम सरोजनी देवी मिश्रा, समस्त दस्तावेजों पेन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रचलित नाम सरोज मिश्रा अंकित हैं. सरोज मिश्रा, सरोजनी देवी एवं सरोजनी देवी मिश्रा मेरे ही नाम हैं. भविष्य में मुझे मेरे नाम सरोज मिश्रा से ही जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम  
(सरोजनी देवी मिश्रा)  
(G-1768)

नया नाम  
(सरोज मिश्रा)  
पति-राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा.

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मीना सिरोही (Mrs. Meena Sirohi) पत्नि स्व. श्री प्रताप सिंह सिरोही सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व का नाम मिस मीना राना (Miss. Meena Rana) था. जो मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेरों में एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे श्रीमती मीना सिरोही पत्नि स्व. श्री प्रताप सिंह सिरोही के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे शासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेरों एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम मिस मीना राना के स्थान पर श्रीमती मीना सिरोही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(मिस मीना राना)  
(G-1769)

नया नाम  
(मीना सिरोही)  
पत्नि-स्व. श्री प्रताप सिंह सिरोही,  
पता-47, चादकपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राधिका डवलपर्स जो 17, अर्जुन कॉलोनी (बलवन्त नगर) गाँधी रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00152/06, दिनांक 24-02-2006 है. जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार मधुसुदन सिंह भदौरिया पुत्र श्री शक्ति सिंह भदौरिया, निवासी 17, अर्जुन कॉलोनी (बलवन्त नगर), गाँधी रोड, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2023 को 1. निहारिका सिंह भदौरिया पुत्री मधुसुदन सिंह भदौरिया, निवासी 17, अर्जुन कॉलोनी (बलवन्त नगर), गाँधी रोड, ग्वालियर, 2. राधिका सिंह भदौरिया पुत्री श्री मधुसुदन सिंह भदौरिया, निवासी 17, अर्जुन कॉलोनी (बलवन्त नगर), गाँधी रोड, ग्वालियर न्यू भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गयी हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स राधिका डवलपर्स ,  
(शक्ति सिंह भदौरिया)  
(भागीदार)  
(G-1770) पता-17, अर्जुन कॉलोनी (बलवन्त नगर) गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय गिराज जी एसोसिएट्स जो म.नं. 12/834, बसंत बिहार, कॉलोनी न्यू कोर्ट के सामने, मुरैना में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0103/22, दि. 19-08-2022 हैं जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार श्रीमती अर्पूवा त्यागी पत्नी श्री जयकांत त्यागी निवासी बसंत बिहार कॉलोनी, म.नं. 12/884 मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रही हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स जय गिराज जी एसोसिएट्स,  
(भरत लाल शर्मा)  
(भागीदार)

म.नं. 12/834, बसंत बिहार,  
कॉलोनी न्यू कोर्ट के सामने, मुरैना (म.प्र.).

(G-1771)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम जोगडिया देवडा खर्फ जोगडिया सिंह देवडा, (JOGADIYA DEVDA & JOGDIYA SINGH DEVADA) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे अजय देवडा, (AJAY DEVDA), निवासी-25, पटेल फलिया, ग्राम बावडी, पोस्ट पीथनपुर, तह. व जिला झाबुआ (म.प्र.) वर्तमान पता :- 53, ऋषि पैलेस, द्वारकापुरी, इन्दौर (म.प्र.) नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

नया नाम  
(अजय देवडा)  
(Ajay DEVDA)

(G-1772)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कालू सिंह देवडा उर्फ कालू देवडा पिता रामसिंह देवडा (Kalu Singh Devda, Kalu Devda S/o Ramsingh Devda) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे कुणाल देवडा पिता रामसिंह देवडा ( Kunal Devda S/o Ramsingh Devda), निवासी-पटेल फलिया, ग्राम बावडी, पोस्ट पीथनपुर, बावडी जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित किया जावे.

नया नाम  
(कुणाल देवडा)  
(Kunal Devda)

(G-1773)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा, नाम संतोष गुर्जर पुत्र श्री दीप सिंह गुर्जर है तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम संतोष गुर्जर हैं, मेरे विभिन्न शासकीय/अनिवार्य दस्तावेजों, आदि के नाम मैं आज से अपना नाम परिवर्तन कर राहुल गुर्जर कर रहा हूँ. भविष्य में मुझे राहुल गुर्जर के नाम से ही जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(संतोष गुर्जर)

नया नाम  
(राहुल गुर्जर)  
पुत्र-श्री दीप सिंह गुर्जर,  
पता-ग्राम गोडिया सनखेड़ा,  
तहसील-बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1774)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजित कुमार खलखो आत्मज श्री लेदो खलखो वी.एच.ई.एल. सेवानिवृत्त हूँ। मैंने अपना पुराना नाम बालकुमार राम व बालकुमार खलखो परिवर्तन करके अजित कुमार खलखो रख लिया है, आज से भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पुकारा जावे और पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य रिकार्ड में अंकित किया जाये।

पुराना नाम  
(बालकुमार राम एवं बालकुमार खलखो)  
(G-1775)

नया नाम  
(अजित कुमार खलखो)  
आत्मज श्री लेदो खलखो.

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोडोस टॉयस एण्ड गेम्स पार्टनरशिप फर्म बी-107, एच जी एमराल्ड ग्रीन, झाँसी-आगरा हाईवे, खुरेरी, ग्वालियर (म.प्र.) 474006, पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0253/23 वर्ष 2022-2003, दिनांक 15-03-2023 में निम्नलिखित बदलाव हुए हैं : -

- वर्तमान पता वी -107, एच जी एमराल्ड ग्रीन, झाँसी-आगरा हाईवे, खुरेरी, ग्वालियर (म.प्र.) 474006 से बदल कर स्टूडियो अपार्टमेन्ट नं. 615, 7 वॉ मंजिल, कमर्शाल बिजिनेस पार्क, न्यू सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) 474011.
- श्री उद्यान लहारिया पुत्र श्री दयाकिशन लहारिया फर्म से दिनांक 27-06-2023 से अलग हो गये हैं.
- श्री नारायण आशरा जी पवार पुत्र श्री यादवराव अशरा जी पवार, निवासी प्लॉट नं. 155, एस एन. 23/24, एन-4, सिडको कॉलोनी औरंगाबाद महा.) 431003, दिनांक 27-06-2023, से फर्म में शामिल हो गये हैं.

द्वारा-टोडोस टॉयस एण्ड गेम्स,  
(अभिषेक अभिनानन्दन)  
(पार्टनर).

(G-1776)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश शोभा कुशवाह हो गया है। जबकि वास्तव में मेरी पत्नी का नाम शोभा सिंह है, जोकि उसके सभी दस्तावेजों, शासकीय अभिलेखों में दर्ज है। अतः मेरी पत्नी को शोभा सिंह (SHOBHA SINGH) के नाम से ही जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(शोभा कुशवाह)

नया नाम  
(शोभा सिंह)  
(SHOBHA SINGH)

पत्नि-बृजराज सिंह,  
पता-म. नं.-पी-4, अमलतास कॉलोनी,  
गोला का मंदिर, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1777)

## CHANGE OF NAME

Myself Malik Singh Chhabra presently known as Yog Mukht Anand, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust on date 10-02-2023, at the premises of Shri Anandpur Trust, | hereby solemnly

declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called known and distinguished not by my former name Malik Singh Chhabra, but by assigned name Yog Mukht Anand I request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Yog Mukht Anand.

Old Name

**(MALIK SINGH CHHABRA)**

(G-1778)

New Name

**(YOG MUKHT ANAND)**

### CHANGE OF NAME

Myself Raj Pratap Singh presently known as Yog Santosh Anand , having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust on date 10-02-2023, at the premises of Shri Anandpur Trust, I, hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Raj Pratap Singh, but by assigned name Yog Santosh Anand I request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Yog Santosh Anand.

Old Name

**(RAJ PRATAP SINGH)**

(G-1779)

New Name

**(YOG SANTOSH ANAND)**

### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Maa Savitri Automobiles having head office at Harsi, Bhitwar Road, Dabra, Gwalior is registered Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No. 02/42/02/00122/08.

On 17-02-2023 Shri Bhaskar Gautam has been added to the partnership firm w.e.f. 17-02-2022. Now the partners of the firm are Shri Ashok Kumar Gautam, Shri Aditya Gautam and Shi Bhaskar Gautam.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the office of registrar of firm and society.

For-M/s Maa Savitri Automobiles,  
**(ASHOK KUMAR GAUTAM)**

(G-1780)

(Partner).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स महाकाल मिनरल्स जबलपुर म. नं. 117, सुख सागर ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 04/14/01/0369/21, दिनांक 25-03-2021 है जिसमें दिनांक 16-06-2023 को भागीदार पुष्पा शर्मा पति श्री रूप नारायण शर्मा, निवासी 117, सुख सागर ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई हैं एवं इसी दिनांक 16-06-2023 को भागीदार गुजराल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड, प्रोपराईटर- इन्द्रनील गुजराल पिता श्री महेन्द्र सिंह गुजराल, पता-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिविल लाईन, जबलपुर अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स महाकाल मिनरल्स जबलपुर,

**(शिवदास शर्मा)**

(भागीदार)

(G-1781)

पता-म. नं. 117, सुख सागर ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अहमद फरहान कुरैशी, पिता मोहम्मद आरिफ कुरैशी, निवासी-ए-17/2, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, तहसील हुजुर, भोपाल (म.प्र.) मेरी माता जी परवीन कौशर (PARWEEN KAUSAR) और मैं, अहमद फरहान कुरैशी (AHMED FARHAN QURESHI) के नाम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई, जिसमें हमारे शेयर हैं और मैं उसमें सेकेण्ड होल्डर (SECOND HOLDER) हूँ और शेयर सर्टिफिकेट (SHARE CERTIFICATE) जिसमें मेरा पूरा नाम गलती से उमर अहमद फरहान (OMAR AHMAD FARHAN) लिखा गया है, जो कि पूर्णतः गलत लिखा गया है, मेरा सही और वास्तविक नाम अहमद फरहान कुरैशी (AHMED FARHAN QURESHI) ही है। मुझे भविष्य में भी अहमद फरहान कुरैशी (AHMED FARHAN QURESHI) इसी नाम से लिखा, पढ़ा और जाना जावे।

पुराना नाम  
(उमर अहमद फरहान)  
(OMAR AHMAD FARHAN)  
(G-1782)

नया नाम  
(अहमद फरहान कुरैशी)  
(AHMED FARHAN QURESHI)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र प्रकाश कौशल पिता स्व. श्री श्याम सुन्दर कौशल, निवासी-एल आई जी-232, बी-सेक्टर, सोनागिरी, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) है। मेरी पत्नी श्रीमती ललिता कौशल पति श्री राजेन्द्र प्रकाश कौशल के नाम से रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड मुम्बई, जिसमें हमारे शेयर हैं और मैं उसमें सेकेण्ड शेयर होल्डर हूँ और शेयर सर्टिफिकेट जिसमें मेरा पूरा नाम गलती से राजेन्द्र प्रसाद कौशल (RAJENDRA PRASAD KAUSHAL) लिखा गया है, जो कि पूर्णतः गलत लिखा गया है, मेरा सही और वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रकाश कौशल ही है। मुझे भविष्य में भी राजेन्द्र प्रकाश कौशल (RAJENDRA PRAKASH KAUSHAL) इसी नाम से लिखा, पढ़ा और जाना जावे।

पुराना नाम  
(राजेन्द्र प्रसाद कौशल)  
(RAJENDRA PRASAD KAUSHAL)  
(G-1783)

नया नाम  
(राजेन्द्र प्रकाश कौशल)  
(RAJENDRA PRAKASH KAUSHAL)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रामगोविंद कुशवाहा हो गया था, जो अब बदलकर हेमाराज पटेल पिता रम्मू पटेल हो गया है। अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(रामगोविंद कुशवाहा)  
(G-1784)

नया नाम  
(हेमाराज पटेल)  
आ. श्री रम्मू पटेल.

**नाम परिवर्तन**

मैं, अफरोज खान पिता अलीम खान पूर्व में मेरे पुत्र का नाम ओवेज खान पठान पिता अफरोज खान, माता नगमा बी (OWEIZ KHAN PATHAN S/o AFROZ KHAN MOTHER NAME NAGMA BE) था, जो अब बदल कर अवेस खान पिता अफरोज खान माता नजमा खान (AVES KHAN S/o AFROZ KHAN, MOTHER NAME NAJMA KHAN) हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से अवेस खान पिता अफरोज खान, माता नजमा खान (AVES KHAN S/o AFROZ KHAN, MOTHER NAME NAJMA KHAN) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(ओवेज खान पठान)  
(G-1785)

नया नाम  
(अवेस खान)  
पता-वार्ड नंबर 13, बावरी कॉलोनी दलोदा, जिला मंदसौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जाहिर सूचनाकर्ता वर्षा बोरकर पति कैलाश चिंचखेड़े वर्तमान में आर. वी. 3, 177/वी. डबल स्टोरी, तीन पुलिया, रेलवे कॉलोनी, खण्डवा मध्यप्रदेश, वर्तमान में वर्षा बोरकर पति कैलाश चिंचखेड़े के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, प्रकाशन उपरांत मुझे वर्षा बोरकर पति कैलाश चिंचखेड़े के स्थान पर वर्षा बोरकर पिता रूपराव बोरकर के नाम से जाना-पहचाना जाएगा.

पुराना नाम

(वर्षा बोरकर)

(VARSHA BORKAR)

पति-कैलाश चिंचखेड़े.

(G-1786)

नया नाम

(वर्षा बोरकर)

(VARSHA BORKAR)

पिता-रूपराव बोरकर.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ मोनिका का विवाह राहुल परवार के साथ हुआ होकर मेरे विवाह पश्चात् आधार संशोधन के समय त्रुटिवश मेरा नाम माया दर्ज हो गया है. जो कि पूर्णतः असत्य है. मेरा सही नाम मोनिका पति राहुल परवार है और मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ.

पुराना नाम

(माया परवार)

(G-1787)

नया नाम

(मोनिका परवार)

पति-राहुल परवार.

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रीमती रेखा सोनी पत्नि श्री ओम प्रकाश सोनी, निवासी-81, लक्ष्मी गली, सराफा चौक, भोपाल मेरा नाम त्रुटिवश आधारकार्ड में मोनिका सोनी लिखा गया है. जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम श्रीमती रेखा सोनी पत्नि श्री ओम प्रकाश सोनी है. जो लिखा जावे व पढ़ा जावे.

नया नाम

(रेखा सोनी)

(G-1788)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम सुशील कुमार जैन (SUSHEEL KUMAR JAIN) पिता मूलचंद जैन है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधारकार्ड एवं पेनकार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे यूरेका फोर्ब्स लि. के शेयर प्रमाण पत्र पर मेरा बोलता नाम सुशील कुमार मारवारी (SUSHIL KUMAR MARWARI) दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशील कुमार जैन (SUSHEEL KUMAR JAIN) पिता मूलचंद जैन के नाम से जान-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(सुशील कुमार मारवारी)

(SUSHIL KUMAR MARWARI)

(G-1789)

नया नाम

(सुशील कुमार जैन)

(SUSHEEL KUMAR JAIN)

पिता-मूलचंद जैन,

पता-20, शिवाजी पथ बडनगर,

उज्जैन (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम तरणजीत सिंह छाबडा (TARANJEET SINGH CHHABRA) पिता महेन्द्र सिंह छाबडा है जां कि सही व सत्य है तथा मेरे आधारकार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे द्वारा कुछ निवेश त्रुटिवश मेरे बोलते नाम राजेन्द्र सिंह छाबडा (RAJENDER SINGH CHHABRA) के नाम से हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तरणजीत सिंह छाबडा (TARANJEET SINGH CHHABRA) पिता महेन्द्र सिंह छाबडा के नाम से जान-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(राजेन्द्र सिंह छाबडा)

(RAJENDER SINGH CHHABRA)

(G-1790)

नया नाम

(तरणजीत सिंह छाबडा)

(TARANJEET SINGH CHHABRA)

पिता-महेन्द्र सिंह छाबडा,  
पता-47, पागनीसपागा, इंदौर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक एवं जन्मप्रमाण-पत्र में नाम कृष्णा जाट (Krishna Jat) पुत्र श्री अशोक जाट (Ashok Jat) लिखा हुआ है जो सही है लेकिन मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नैतिक (Netik) पुत्र श्री हरिराम (Hariram) लिखा हुआ है जो कि गलत है. अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड में कृष्णा जाट (Krishna Jat) पुत्र श्री अशोक जाट (Ashok Jat) के नाम से लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नैतिक)

(Netik)

पुत्र-श्री हरिराम

(Hariram)

(G-1791)

नया नाम

(कृष्णा जाट)

(Krishna Jat)

पुत्र-श्री अशोक जाट

(Ashok Jat)

निवासी-जाट मोहल्ला, ग्राम कन्नौद आष्टा,  
सीहोर, (म.प्र.).

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "SATNA AGRO OVERSEAS" पंजीयन क्रमांक 05/26/01/0079/17 पंजीयन दिनांक 15-09-2017, पता - KN 99/2/2/KH/1/2, 2 KM MILESTONE, OPP. MAA LAXMI STONE CRUSHER, TEH. RAGHURAJ NAGAR, DISTT. SATNA (M.P.) Pin Code 485001 कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) SHRI DEEPAK KUMAR BULANI, S/o LATE SHRI GURALDAS BULANI पता-Resident of P4/7, GHANSHYAM VIHAR COLONY BHARHUT NAGAR SATNA, DISTT SATNA (M.P.), (2) SHRI MANOJ KUMAR KRISHNANI S/O SHRI KAKKU MAL KRISHNANI, पता-Resident of KRISHNA NAGAR SATNA DISTT SATNA (M.P.), (3) SUNITA SINGH D/o PANE SINGH, पता-Resident of HIG 10, BHANDHAV GARH COLONY, SATNA DISTT SATNA (M.P.) पार्टनर थे. जिसमें दिनांक 03-02-2022 को (1) SUNITA SINGH D/O PANE SINGH पता-Resident of HIG 10, BHANDHAV GARH COLONY, SATNA DISTT SATNA (M.P.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये. निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं. अगर फर्म के किसी भी पार्टनर को कोई दिक्कत हो तो 7 दिवस के भीतर सूचित करें.

(G-1792)

For-SATNA AGRO OVERSEAS,  
(MANOJ KUMAR KRISHNANI)

(Partner).

**नाम परिवर्तन**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं संतोष कुमार (SANTOSE KUMAR) आत्मज श्री गणेश प्रसाद झारिया (GANESH PRASAD JHARIYA) म. नं. 2688/2, सेठी नगर शक्ति भवन रोड रामपुर, जबलपुर, मेरे शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार झारिया (SANTOSH KUMAR JHARIYA) आत्मज श्री गणेश प्रसाद झारिया (GANESH PRASAD JHARIYA) दर्ज है। एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार (SANTOSE KUMAR) आत्मज श्री गणेश प्रसाद झारिया (GANESH PRASAD JHARIYA) दर्ज है। ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं। अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम संतोष कुमार (SANTOSE KUMAR) के स्थान पर संतोष कुमार झारिया (SANTOSH KUMAR JHARIYA) आत्मज श्री गणेश प्रसाद झारिया (GANESH PRASAD JHARIYA) जाना-पहचाना लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(संतोष कुमार)  
(SANTOSE KUMAR)

नया नाम

(संतोष कुमार झारिया)  
(SANTOSH KUMAR JHARIYA)  
आत्मज-श्री गणेश प्रसाद झारिया,  
(GANESH PRASAD JHARIYA)

(G-1793)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राकेश पटेल पुत्र श्री बलराम पटेल, निवासी म. नं. C-7, सुन्दर नगर, शिवमंदिर के पास भोपाल म.प्र.  
मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश बैशाली कुमारी दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि उसका सही नाम वैशाली पटेल पुत्री श्री राकेश पटेल है जो कि उसकी शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है। अतः मेरी पुत्री को वैशाली पटेल पुत्री श्री राकेश पटेल पढ़ा-लिखा व समझा जाये।

पुराना नाम

(बैशाली कुमारी)  
(G-1794)

नया नाम

(वैशाली पटेल)  
पुत्री-श्री राकेश पटेल.**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार झा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद झा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। अतः मेरे सभी अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रदीप कुमार झा अंकित है। जो कि सही है। अतः मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रदीप कुमार झा के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)  
(G-1795)

नया नाम

(प्रदीप कुमार झा)  
पता-सिरोज मार्ग, वार्ड नंबर-21,  
गंजबसौदा, विदिशा (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, पवन कुमार आत्मज स्व. हेमराज जाटव, आयु 26 वर्ष, निवासी-ग्राम अजंसरा पोस्ट सिहोरा (बोहानी) गाडरवारा का निवासी हूँ। वर्तमान में मेरा नाम पवन कुमार आत्मज हेमराज जाटव हटाना चाहता हूँ और पवन देव नाम रखना चाहता हूँ। अतः मुझे पवन देव के नाम से जाना पहचाना जाए।

पुराना नाम

(पवन जाटव)  
(G-1796)

नया नाम

(पवन देव)  
पिता-हेमराज जाटव.



### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि हमारी फर्म मेसर्स प्रिया सेल्स, हनुमान गंज कटनी मुडवारा, कटनी (म.प्र.) पंजीयन क्र. 04/15/03/0133/15 वर्ष 2015-2016, दिनांक 07-10-2015 से फर्मों के रजिस्ट्रार जबलपुर संभाग जबलपुर में पंजीकृत है।

पूर्व में पाँच पार्टनर 1. श्री शैलेन्द्र गौर S/o श्री श्याम गौर, 2. श्री अक्षय गौर S/o श्री श्याम गौर, 3. श्री अंकुर गौर S/o श्री श्याम गौर, 4. श्री श्याम गौर S/o श्री शिव दयाल गौर, 5. शकुंतला गौर W/o श्री श्याम गौर कार्य संचालित कर रहें थे।

जिसमें से 1. श्री अक्षय गौर S/o श्री श्याम गौर दिनांक 17-08-2019 को मृत्यु हो जाने पर भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गये हैं, इसलिए उन्हें दिनांक 17-08-2019 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये।

अब फर्म में मात्र चार भागीदार शेष हैं।

1. श्री शैलेन्द्र गौर S/o श्री श्याम गौर, 2. श्री अंकुर गौर S/o श्री श्याम गौर, 3. श्री श्याम गौर S/o श्री शिव दयाल गौर, 4. शकुंतला गौर W/o श्री श्याम गौर।

जिसकी पार्टनरशिपडीड 06-09-2019 को बनाई गई, एवं उस समय से आज दिनांक तक कोई पार्टनरशिपडीड में कोई संशोधन नहीं किया गया है, एवं वर्तमान में चार भागीदार हैं।

मेसर्स प्रिया सेल्स,  
(शैलेन्द्र गौर)  
(भागीदार)

(G-1797)

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म बालाजी कन्स्ट्रक्शन्स, पता-होटल समदडिया इन, रसल चौक, जबलपुर (म.प्र.) दिनांक 10-05-2011 को कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, जबलपुर संभाग में पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00046/11 सन् 2011-2012 के तहत भागीदारी फर्म के रूप में दर्ज है।

यह कि बालाजी कन्स्ट्रक्शन्स भागीदार फर्म का गठन दो भागीदारों (1) श्री पवन समदडिया आत्मज श्री अजीत समदडिया, निवासी-16, सराफा बाजार, जबलपुर एवं (2) श्री प्रदीप कुमार मित्तल आत्मज स्व. श्री परमेश्वर लाल मित्तल, निवासी-एम.आई.जी. 25, 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड नंबर 29, मुडवारा, कटनी (म.प्र.) से हुआ था।

यह कि उक्त फर्म में दिनांक 17-08-2023 को श्री कुबेर समदडिया आत्मज श्री किशोर समदडिया नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं तथा एक भागीदार श्री प्रदीप कुमार मित्तल आत्मज स्व. श्री परमेश्वर लाल मित्तल अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक हो गये हैं।

यह कि उक्त फर्म में भागीदार श्री पवन समदडिया आत्मज श्री अजीत समदडिया नियमित रूप से रहेंगे।

यह कि फर्म का पता भागीदारी विलेख के अनुसार पता:-होटल समदडिया इन, रसल चौक, जबलपुर (म.प्र.) यथावत रहेगा।

फर्म बालाजी कन्स्ट्रक्शन्स,  
पवन समदडिया,  
प्रदीप कुमार मित्तल,  
कुबेर समदडिया  
(भागीदार)

पता-होटल समदडिया इन, रसल चौक,  
जबलपुर (म.प्र.)

(G-1798)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, सागर मध्यप्रदेश

क्रमांक क-0003-बी-113-रीडर-1-2023

सागर, दिनांक 18 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0003 बी-113, वर्ष 2023-24

मौजा-सिरौजा, तह. सागर.

एतद्वारा सर्वसाधारण को जरिये इशतहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बाबूलाल ताराबाई जैन धर्मार्थ ट्रस्ट "एन.एच. 26, नरसिंहपुर रोड़, सिरौजा, सागर " द्वारा अध्यक्ष श्री संदीप पिता संतोष कुमार जैन निवासी 1/108, पुरानी गल्ला मण्डी, कटरा, वार्ड सागर द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4(1) के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर पंजीयन हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पद / प्रबंधक	पद नाम
1.	श्री संदीप जैन पिता संतोष कुमार जैन	अध्यक्ष	ट्रस्टी
2.	श्री संतोष कुमार जैन पिता स्व. बाबूलाल जैन	उपाध्यक्ष	ट्रस्टी
3.	श्रीमती आरती जैन पत्नि शैलेन्द्र कुमार सिंघई	कोषाध्यक्ष	ट्रस्टी
4.	श्री सत्येन्द्र कुमार जैन पिता संतोष कुमार जैन	मंत्री	ट्रस्टी
5.	श्री सौरभ सिंघई पिता स्व. महेन्द्र कुमार जैन	उपमंत्री	ट्रस्टी
6.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. बाबूलाल जैन	सदस्य	ट्रस्टी
7.	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्व. महेन्द्र कुमार जैन	सदस्य	ट्रस्टी
8.	श्री अवनीश कुमार जैन पिता स्व. नरेन्द्र कुमार जैन	सदस्य	ट्रस्टी
9.	श्री राजेश कुमार जैन पिता स्व. नरेन्द्र कुमार जैन	सदस्य	ट्रस्टी

आवेदक द्वारा प्रस्ताव दिनांक 20-06-2021 के तहत निष्पादित कर ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. उक्त ट्रस्टी के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हों तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 23-10-2023 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अपने वैद्य अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इशतहार आज दिनांक 28 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 28-08-2023

पेशी दिनांक 23-10-2023

(G-1799)

विजय कुमार डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश  
क्रमांक / 194 / रीडर-1 / 23 जूनी, इन्दौर दिनांक 14 अगस्त 2023

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 के अन्तर्गत]

आवेदक श्री रामेश्वरम सेवा ट्रस्ट, पता-214, वैभव नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहें तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री रामेश्वरम सेवा ट्रस्ट, पता-214, वैभव नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	21000/-

आज दिनांक 14 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1800)

क्रमांक / 545 / रीडर-1 / 23

जूनी, इन्दौर दिनांक 31 अगस्त 2023

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

शान्तिदेवी खुशहालचंद चेरिटेबल ट्रस्ट पता-92, महारानी रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहें तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	शान्तिदेवी खुशहालचंद चेरिटेबल ट्रस्ट पता-92, महारानी रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	15,51,000/-

आज दिनांक 31 अगस्त 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1801)

घनश्याम धनगर, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

क्रमांक/एस.डी.एम नगर/रीडर-1/2023/H.250

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2023

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदिका श्रीमती हेमा पति शेरसिंह डोडिया, निवासी- 8 ई, पुलिस लाइन देवास रोड नागझिरी, उज्जैन म.प्र. द्वारा "श्रद्धा खादी ग्रामोद्योग महिला उत्थान न्यास" उज्जैन (म.प्र.) कार्यालय- एल 263, महाशक्ति नगर, उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 03-10-2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-101 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-08-23 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्ति: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्रद्धा खादी ग्रामोद्योग महिला उत्थान न्यास".
कार्यालय	:	एल 263, महाशक्ति नगर, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास चल संपत्ति निरंक है.

(G-1802)

क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2023/H.NO.248

उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त, 2023

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि, आवेदक श्री गिरधारीदास पिता सुखदेवदास वैष्णव, निवासी-19 ए नेमी नगर, मक्सी रोड, उज्जैन म.प्र. द्वारा "श्री बद्रीनारायण गुरुकुल धाम ट्रस्ट" उज्जैन (म.प्र.) कार्यालय- बडनगर रोड, उजडखेडा, हनुमान मंदिर के पास उज्जैन ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 03-10-2023 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-01 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-08-23 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"श्री बद्रीनारायण गुरुकुल धाम ट्रस्ट".
कार्यालय	:	बडनगर रोड, उजडखेडा, हनुमान मंदिर के पास उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन में चल सम्पत्ति के रूप में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक नई सड़क, शाखा में 50,000/-रु. जमा राशि दर्शाया गया है.

(G-1803)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

## न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक, छतरपुर, मध्यप्रदेश

प्र क्र.0001-वी-113-2023-24

छतरपुर, दिनांक 12-06-2023

प्रारूप-4

म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 (1951 क 30) म.प्र. लोक न्यास नियम 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर) जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	बस स्टैण्ड, छतरपुर	संरक्षक
2.	श्री देवकीनंदन मिश्रा	तमराई मुहल्ला, छतरपुर	अध्यक्ष
3.	श्री प्रेमकुमार तिवारी	गल्लामण्डी, छतरपुर	सदस्य
4.	श्री रमांकान्त नामदेव	टिकरिया मुहल्ला, छतरपुर	सचिव
5.	श्री रामशंकर अवस्थी	निवासी छतरपुर	सहसचिव
6.	श्री प्रभात अग्रवाल	चौक बाजार, छतरपुर	कोषाध्यक्ष
7.	श्री जयकुमार सिन्धी	निवासी छतरपुर	उपकोषाध्यक्ष
8.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटैरिया	शिल्पशाला मार्ग छतरपुर	सदस्य
9.	श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला	शुक्लाना मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
10.	श्री रामकिशोर शर्मा	इलाहाबाद बैंक के सामने छतरपुर	सदस्य
11.	श्री आनंदकुमार शुक्ला	शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर	सदस्य
12.	श्री दिनेश कुमार रिछारिया	सरानी दरवाजा छतरपुर	सदस्य
13.	श्री राजेश कुमार गोस्वामी	वार्ड नं. 40 छतरपुर	सदस्य
14.	श्री कैलाश कुमार बाजपेई	गल्ला मण्डी छतरपुर	सदस्य
15.	श्रीमती रंजना चानना	चानना होटल छतरपुर	सदस्य
16.	श्री श्रीराम अरजरिया	चौक बाजार छतरपुर	सदस्य
17.	श्री मुन्नालाल कुशवाहा	कैहर मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
18.	श्री देवेन्द्र कुमार चौरसिया	सबनीनगर मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
19.	श्री भयामाचरण अग्रवाल	मानस भवन के पीछे छतरपुर	सदस्य
20.	श्री रामबाबू अग्रवाल	हटवारा मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
21.	श्री रमेश कुमार बरसैया	जवाहर मार्ग छतरपुर	सदस्य

3. चूंकि आवेदकों / न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 देवी माँ बगराजनजी पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन पत्र दिया गया है. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पत्र पर दिनांक 30-11-15 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा. इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं या अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

4. लोक न्यास का नाम और पता : श्री श्री 1008 देवी माँ बगराजनजी  
पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति—निरंक  
अचल सम्पत्ति—
6. श्री श्री 1008 देवी माँ बगराजनजी पब्लिक ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति:— खसरा नं. 1207 रकबा 0.166 हे. 1208 रकबा 1.281 हे. में अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर, भवन दो पक्के, कुआँ पक्के कोट की दीवाल दान-दाताओं की ओर अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे कमरे एवं चबूतरों, वृक्षों से सुसज्जित बगीचा बने हुए हैं. समिति के पास स्टेट बैंक, इन्दौर के नाम बचत खाता क्रमांक 779/4 नया नम्बर 530311609728 में दिनांक 16-08-2017 तक ब्याज सहित राशि 18318.90 रुपये नगद जमा है.

(G-1804)

बलवीर रमन, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1179 / रीडर-1 / 2023

झाबुआ, दिनांक 01 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0005 / बी-121-2023-2024

(दिनांक 01 अगस्त 2023 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय.एच.बी. लिमि. इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/KGPL/PAD-Jhabua, दिनांक 15-05-2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईपलाइन हेतु ग्राम कांकरादरा खुर्द तहसील व जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 209/1, 209/2 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पंपिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आयएचबी लिमिटेड इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पंपिंग स्टेशन एवं एसव्ही स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा तहसीलदार झाबुआ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि, ग्राम कांकरादराखुर्द स्थित सर्वे नंबर 209/1, 209/2 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था काण्डला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाईपलाइन इंटरमिडिएट पंप स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु स्थल पर ग्रामवासियों एवं आसपास के निवासित कृषकों को उक्त क्षेत्र डेंजर जोन हैं, आसपास कोई गतिविधि नहीं करे एवं उच्च क्षेत्र एल.पी.जी. पाईपलाइन एवं स्टेशन होने से ज्वलनशील है उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, तहसील झाबुआ के ग्राम कांकरादराखुर्द स्थित भूमि सर्वे नंबर 209/1, 209/2 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर पर स्थापित SV-15, इंटरमिडिएट पंपिंग स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.

3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे।
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय एच बी लिमिटेड, इंदौर का रहेगा।

(G-1805)

क्रमांक / 1181 / रीडर-1 / 2023

प्रकरण क्रमांक 0006 / बी-121-2023-2024

(दिनांक 01 अगस्त 2023 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय.एच.बी. लिमि. इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/KGPL/PAD-Jhabua, दिनांक 15-05-2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन हेतु ग्राम झायडा, तहसील व जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 824 / 1, 824 / 2 कुल रकबा 0.3139 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन बना हुआ है। आवेदक आयएचबी लिमिटेड, इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं एसव्ही स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है।

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा नायब तहसीलदार झाबुआ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम झायडा स्थित सर्वे नंबर 824 / 1, 824 / 2 कुल रकबा 0.3139 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था काण्डला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाईप लाईन इंटरमिडिएट पंप स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु स्थल पर ग्रामवासियों एवं आसपास के निवासित कृषकों को उक्त क्षेत्र डेंजर जोन हैं आसपास कोई गतिविधि नहीं करे एवं उच्च क्षेत्र एल.पी.जी. पाईप लाईन एवं स्टेशन होने से ज्वलनशील है उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, तहसील झाबुआ के ग्राम झायडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 824 / 1, 824 / 2 कुल रकबा 0.3139 हेक्टेयर पर स्थापित SV-16, इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूं :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा।
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय।



3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. यदि कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय एच बी लिमिटेड, इंदौर का रहेगा.

(G-1806)

क्रमांक / 1183 / रीडर-1 / 2023

प्रकरण क्रमांक 0007 / बी-121-2023-2024

(दिनांक 01 अगस्त 2023 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय. एच. बी. लिमि., इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/KGPL/PAD-Jhabua, दिनांक 15-05-2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाइन हेतु ग्राम नवापाडा नवीन, तहसील व जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 37 कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आयएचबी लिमिटेड, इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं एसव्ही स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा नायब तहसीलदार झाबुआ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम नवापाडा नवीन स्थित सर्वे नंबर 37 कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था काण्डला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाईप लाइन इंटरमिडिएट पंप स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु स्थल पर ग्रामवासियों एवं आसपास के निवासित कृषकों को उक्त क्षेत्र डेंजर जोन हैं आसपास कोई गतिविधि नहीं करे एवं उच्च क्षेत्र एल.पी.जी. पाईप लाइन एवं स्टेशन होने से ज्वलनशील है उक्त क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्ची हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, तहसील झाबुआ के ग्राम नवापाडा नवीन स्थित भूमि सर्वे नंबर 37 कुल रकबा 0.25 हेक्टेयर पर स्थापित SV-15, इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूं :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.

3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय एच बी लिमिटेड इंदौर का रहेगा.

(G-1807)

क्रमांक/1185/रीडर-1/2023

झाबुआ, दिनांक 01 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0008/बी-121-2023-2024

दिनांक 01 अगस्त, 2023 को पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक महाप्रबंधक, गैल (इण्डिया) लिमिटेड झाबुआ द्वारा पत्र क्रमांक-1713-1714, दिनांक 21-04-2023 प्रस्तुत कर ग्राम कसारबर्डी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 1885/1/1, 1885/2/1, 1882/2 पर SV/RR स्टेशन स्थित है. उक्त भूमि को "NO DRONE ZONE" क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद द्वारा नायब तहसीलदार उप तहसील सारंगी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि, प.ह.नं. 32, ग्राम कसारबर्डी में सर्वे नंबर 1885/1/1, 1885/2, 1882/2 पर SV/RR स्टेशन स्थित है. उक्त स्टेशन के पूर्व में सर्वे नंबर 1885/1, शासकीय, स.नं. 1883 निजी भूमि उत्तर में 1882/1 शासकीय भूमि पश्चिम में 1885/1 शासकीय तथा दक्षिण में 1885/1/1/ शासकीय भूमि है. यह गैस पाईप लाईन महत्वपूर्ण गैस पाईप लाईन होकर उच्च स्तर की सुविधा प्रदाय किया जाना आवश्यक होने पाईप लाईन के अंतर्गत आने वाला SV/RR स्टेशन कसारबर्डी को "NO DRONE ZONE" क्षेत्र घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के ग्राम कसारबर्डी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1885/1/1, 1885/2/1, 1882/2 पर स्थापित SV/RR, स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ:-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.

3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेंगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल (इण्डिया), लिमिटेड झाबुआ, का रहेगा.

(G-1808)

तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप अंकेक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

दिनांक 16 अगस्त, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2023-क्यू-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, मगरिया	भैरुंदा	1763/28-03-2014	1133/14-08-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, बाईसाद	भैरुंदा	1631/27-09-2012	1138/14-08-2023

अतः मैं जतिन गाचले, पद उप अंकेक्षक सहकारी, संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयवधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयवधि पश्चात् प्राप्त दावों या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1809)

जतिन गाचले, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

## कार्यालय उप अंकेक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

दिनांक 01 अगस्त, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2023-क्यू.-उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, शंकरपुर	आष्टा	1741/30-01-2014	345/09-03-2022
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्यादित, बडलिया बरामद	आष्टा	1516/30-09-2010	1193/02-11-2022
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, खुरानिया	सीहोर	1704/17-04-2013	751/16-05-2023
4.	मातृ शक्ति महिला साख सह. संस्था मर्या. इछावर	इछावर	1477/29-05-2021	541/02-07-2021
5.	मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, नयापुरा	इछावर	1383/13-09-2007	753/10-06-2022
6.	आदर्श गृह निर्माण सह. संस्था मर्यादित, बुधनी	बुधनी	768/20-11-1979	67/22-01-2021

अतः मैं, वैभव सक्सेना, पद उप अंकेक्षक सहकारी, संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1810)

वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

## कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरिया तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1763 दिनांक 28-03-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/820/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरिया, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जतिन गाचले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1811)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इटावा कलां, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1876 दिनांक 09-04-2018 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र कमांक/परिसमापन/2023/824/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इटावा कलां, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1812)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झिरनिया, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1606 दिनांक 28-03-2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र कमांक/परिसमापन/2023/826/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झिरनिया, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1813)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुनेड़, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1716 दिनांक 28-06-2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/825/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुनेड़, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1814)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ससली, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1805 दिनांक 16-10-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/823/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ससली, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1815)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, समलपानी, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1811 दिनांक 27-11-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/822/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, समलपानी, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1816)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाईसाढ़, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1631 दिनांक 27-09-2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/821/सीहोर, दिनांक 06-06-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाईसाढ़, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जतिन गाचले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1817)

**सुधीर कैथवास**, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्र 24, शक 1945

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )